

12/5/25

जवाबदी पैसा हुई। धुकी एवं डाकी आरी अनुकूलित  
 डाकी एवं डाकी अधिवक्ता द्वारा जट्टा मूल बाद  
 सं० 49) 19 उनवान अगवान बनाम हीरा  
 अदम लावरी। अदम हीरी में खारिज किया  
 जा चुका है। डाकी द्वारा जट्टा मूल बाद में खारिज  
 हो जाने से डाकी द्वारा जट्टा डाकीना पत्र में कोई  
 कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः डाकी द्वारा जट्टा  
 डाकीना पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 शपथमान  
 कार्यकारी अधिनियम को खारिज किया जाना  
 है। निधि से इजलास सुनाया गया जवाबदी  
 फैसल सुमार लेकर लार्जल पक्कर ही तथा नम्बर  
 से कम है।

3-5  
 12/5/25

सहायक कलक्टर  
 भीलवाड़ा